



भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता कोड (Insolvency & Bankruptcy Code)

संदर्भ

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता कोड यानी दवालिया कानून (Insolvency & Bankruptcy Code-IBC) में बदलाव की मांग को खारजि करते हुए इसे संपूर्ण बनाए रखने के पक्ष में फैसला सुनाया है। 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में स्वसि रबिस, शविम वाटर ट्रीटर्स और गणेश प्रसाद पांडेय ने इस कानून की कई धाराओं, विशेषकर 7, 12 और 29 के प्रावधानों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि IBC केवल करज देने वालों के अधिकारों को संरक्षित करता है।

आपको बता दें कि इस कानून के तहत दवालिया हो चुकी कंपनियों की नीलामी में कंपनी के प्रमोटर के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोड में एकमात्र बदलाव संबंधित व्यक्ति की परभाषा में होगा और नई परभाषा के मुताबिक वही व्यक्ति संबंधित माना जाएगा, जो करजदाता या डफॉल्ट कर चुकी कंपनी से संबंधित होगा। जस्टिस आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे 'संपूर्णता' में इस कोड की संवैधानिक वैधता को मान्यता देते हैं।

धारा 7, 12 और 29

- इस कोड की धारा 7 किसी कंपनी के खिलाफ दवालिया प्रक्रिया की शुरुआत से जुड़ी है अर्थात् जब कोई करज देने वाला व्यक्ति, संस्था या कंपनी, करज नहीं चुकाने वाली कंपनी के खिलाफ दवालिया कोर्ट में अपील दायर करती है।
- धारा 12 दवालिया प्रक्रिया को पूरी किये जाने की समयसीमा को तय करती है। इस धारा के तहत यह पूरी प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी कर ली जानी अनिवार्य है।
- धारा 29 में संबंधित व्यक्ति और कंपनी को पारभाषित किया गया है। सरकार ने इस कोड में संशोधन कर यह तय कर दिया था कि किसी दवालिया हो रही कंपनी की नीलामी में इसके तहत आने वाले व्यक्ति भाग नहीं ले पाएंगे।

IBC की सामान्य कार्य प्रक्रिया

- अगर कोई कंपनी करज वापस नहीं चुकाती तो IBC के तहत करज वसूलने के लिये उस कंपनी को दवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके लिये NCLT की विशेष टीम कंपनी से बात करती है और कंपनी के मैनेजमेंट के राजी होने पर कंपनी को दवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके बाद उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्जा हो जाता है और बैंक उस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी को बेचकर अपना करज वसूल सकता है।
- IBC में बाजार आधारित और समय-सीमा के तहत इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है।
- IBC की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति (थर्ड पार्टी) ही कंपनी को खरीद सकता है।

दवालिया कानून समिति का गठन

16 नवम्बर, 2017 को केंद्र सरकार ने दवालिया कानून समिति का गठन केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनवास की अध्यक्षता में दवालियापन और दवालियापन संहिता के क्रियान्वयन तथा कार्यान्वयन के लिये किया था। इस समिति को कॉर्पोरेट दवालियापन संकल्प और परसिमापन ढाँचे की दक्षता को प्रभावित करने वाले वषियों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। इस कमेटी ने कुछ सफारिशें दीं, जिनसे इस कोड का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना संभव हो सका है। इसके अलावा निर्धारित प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि के साथ इस कोड का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हुआ है।

क्यों जरूरत पड़ी इस कोड की?

- संसद ने आर्थिक सुधारों की दशा में कदम उठाते हुए एक नया दवालियापन संहिता विधियक 2016 में पारित किया था।
- भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता कोड (IBC), 2016 लाने तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का NPA चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुका था। इन चिंताओं को दूर करने के लिये यह कानून बनाया गया और इसे लागू करके इसके तहत कार्रवाई भी की गई।
- दवालिया एवं दवालियापन संहिता, 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट 1920' को रद्द करती है तथा

कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूरिटीज़ेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करती है।

- इस कोड ने देश में करज़दाताओं और करज़ लेने वालों के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब देखने में आ रहा है कबिड़ी संख्या में ऐसे करज़दार, जिनमें यह डर होता है कवि रेड लाइन के करीब पहुँचने वाले हैं और जल्दी ही वे NCLT में होंगे, अब दवालिा घाषति होने से परहेज कर रहे हैं।
- इस कोड के कार्यानवयन की प्रकरया कुछ नशिचति शर्तों और नयिाों दवारा संचालति है। कुछ मामलों में अपीलों और उसके वरिध में अपीलों तथा मुकदमेबाज़ी के कारण कई बार यह प्रकरया बाधति हो जाती है, लेकनि सुप्रीम कोर्ट के नरिणय के बाद यह बाधा दूर हो गई है।

दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवालिा हो सकती हैं और यदकोई इकाई दवालिा होती है तो इसका तात्पर्य यह है कविह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है। ऐसी स्थितिमें कानून में स्पष्टता न होने पर करज़दाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ती या फर्म को भी तरह-तरह की परेशानयिों से दो-चार होना पड़ता है। देश में इससे पहले तक दवालिायिाण से संबंधति कम-से-कम 12 कानून थे, जनिमें से कुछ तो 100 साल से भी ज़यादा पुराने हैं।

NPA समस्या के समाधान में सहायक IBC

- जब कोई देनदार बैंक को अपनी देनदारयिों चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसके दवारा लयिा गया करज़ नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) कहलाता है।
- नयिाों के तहत जब कसिी करज़ का मूलधन या ब्याज़ तय अवधिके 90 दिन के भीतर नहीं चुकाया जाता है तो उसे NPA में डाल दयिा जाता है।
- कई बार करज़दार दवालिा हो जाता है, ऐसे में बैंक उसकी परसिंपत्तयिों को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।
- IBC के अनुसार, कसिी ऋणी के दवालिा होने पर एक नशिचति प्रकरया पूरी करने के बाद उसकी परसिंपत्तयिों को अधिकार में लयिा जा सकता है।
- IBC के हसिाब से, यद 75 प्रतशित करज़दाता सहमत हों तो ऐसी कसिी कंपनी पर 180 दिनों (90 दिन के अतरिकित रयिायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है, जो अपना करज़ नहीं चुका पा रही।
- IBC के लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा।
- करज़ न चुका पाने की स्थितिमें कंपनी को अवसर दयिा जाएगा कविह एक नशिचति समयावधिमें करज़ चुकता कर दे या स्वयं को दवालिा घाषति करे।

NCLT और NCLAT का गठन

1 जून 2016 को सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी वधि अपील प्राधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) का गठन कयिा। इनका गठन कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 408 के तहत कयिा गया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इनके लयिे अधसिचना जारी की थी और ये तत्काल रूप NCLAT की 11 पीठ हैं, जनिमें से इसकी मुख्य शाखा सहति दो नई दलिली में और अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई में एक-एक पीठ है। NCLAT के गठन के बाद कंपनी कानून 1956 के तहत गठति कंपनी कानून बोर्ड भंग हो गया। गौरतलब है ककिंपनी कानून 1956 के स्थान पर कंपनी अधनियम, 2013 लाया गया है।

कसिी कारोबारी दवारा बैंकों का करज़ चुकता न कयिे जाने से न सरिफ बैंकों की सेहत खराब होती है, बल्कदेश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होती है; क्योकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वत्तिीय संस्थाओं के नुकसान की भरपाई अंततः सरकारी खज़ाने से करनी पड़ती है। इसिलयिे इस कोड के तहत ऋणशोधन अक्षमता के समाधान के लयिे जहाँ कहीं भी संभव हो वहाँ एक बाजार तंत्र और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ नकिसी सुवधि प्रदान की जा रही है। यह कोड भुगतान स्थगति कर करज़ के पुनर्वत्तिीयन और गैर-मयिादी ऋण की संस्कृति को बदल रहा है।